

(मागीरथ राम)  
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018  
उपस्थिति अधिकारी एवं पदेन सहायक फलेक्टर

FORM NO. III

2018/01455

फर्द अहकाम

अज अदालत ..... (मागीरथ राम) (नियम-26)  
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018  
उपस्थिति अधिकारी एवं पदेन सहायक फलेक्टर  
नियम  
बनाम ..... नरपता सिंह  
किस्म मुकदमा ..... 88 P.A. वल ..... नं ..... 139 ..... सन ..... 2018

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 20/6/18     | <p>वादी ने वाद-पत्र प्रस्तुत किया, जो उसे रजिस्टर किया गया।</p> <p>वादी ने वाद-पत्र में स्पष्ट किया कि श्रोतगी अप्रेशन परित करते वकल सही नाम शकवातिए के स्थान पर कल्पना सिंह दर्ज कर दिया जो अशुद्ध है, उमल अशुद्ध नाम से दुखल किया जाने।</p> <p>वाद-पत्र के समर्पण में दस्तावेजों अप्रेशन की प्रति, जमानदी, शकवातिए शकवातिए की प्रति प्रस्तुत की, और श्रोतगी साथ में स्वयं के स्थान तथा सदस्यवादी के स्थान कल्पना सिंह करवाठ।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन व शकवातिए किया। शिवांत यह निर्यात रूपत है कि श्रोतगी अप्रेशन करते वकल सही नाम शकवातिए के स्थान पर कल्पना सिंह दर्ज होना पाया जाता है।</p> <p>जिलती दुखली होना न्यायचित है।</p> <p>वाद-पत्र वादी स्वीकार कर उमल अशुद्ध दुखल करना न्यायचित में</p> |   |

अचित अतीत होती है।

अता वादी का वाद पत्र  
स्वीकार कर उम्मा अह्दाइ  
को दुखाना कर रेकर्ड मे लही  
नाम शवलासीहं दुखाना करने  
के आदेश दिया जाता है।  
डिडी - पचा जारी है।

(मा. वि. रा. म.)

पौडासीन कर्मिणी / कोर्ट कमरा 28  
संपत्ति / संपत्ति सहायक कलेक्टर  
आ.सो. सेवा अ.स.